# कोरोनावायरस (COVID-19) और एनडीआईएस (NDIS)

## एनडीआईएस के काम करने के तरीके में परिवर्तन

### पढ़ने में आसान संस्करण

राष्ट्रीय विकलाँगता बीमा योजना (National Disability Insurance Scheme)

## इस दस्तावेज़ का उपयोग कैसे करें

यह दस्तावेज़ राष्ट्रीय विकलाँगता बीमा संस्था (National Disability Insurance Agency - NDIA) ने तैयार किया है। जब आपको 'हम' शब्द दिखाई देता है, तो इससे तात्पर्य एनडीआईए से है।

हमने इस जानकारी को पढ़ने में आसान तरीके से लिखा है।

हमने कुछ शब्द **बोल्ड** में लिखे हैं। हम इन इन शब्दों का अर्थ समझाते हैं। पृष्ठ 13 पर इन शब्दों की एक सूची दी गई है।

यह पढ़ने में आसान दस्तावेज़ एक अन्य दस्तावेज़ का साराँश है।

वह अन्य दस्तावेज़ हमारी वेबसाइट [www.ndis.gov.au](http://www.ndis.gov.au) पर उपलब्ध है।

आप इस दस्तावेज़ को पढ़ने के लिए सहायता माँग सकते/सकती हैं। कोई दोस्त, परिवार का सदस्य या समर्थन व्यक्ति आपकी सहायता कर सकता है।

**इस दस्तावेज़ में क्या शामिल है?**

[कोरोनावायरस क्या है? 3](#_Toc36804533)

[एनडीआईएस के काम करने के तरीके में परिवर्तन 3](#_Toc36804534)

[एनडीआईएस में भाग लेना 4](#_Toc36804535)

[अपनी योजना की समीक्षा करना 5](#_Toc36804536)

[आपकी अगली योजना में क्या शामिल होगा 8](#_Toc36804537)

[और अधिक समय के लिए योजनाएँ आगे बढ़ाना 8](#_Toc36804538)

[7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए समर्थन 9](#_Toc36804539)

[अपनी योजना में उलब्ध फंडिंग का अलग तरीके से प्रयोग करना 10](#_Toc36804540)

[शब्द सूची 13](#_Toc36804541)

[हमसे संपर्क करें 14](#_Toc36804542)

## कोरोनावायरस क्या है?

कोरोनावायरस (COVID-19) एक **वायरस** है जिसने पूरी दुनिया-भर में बहुत से लोगों को प्रभावित किया है।

वायरस एक ऐसी बीमारी या रोग होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है।

कोरोनावायरस तेजी से फैल रहा है।

कोरोनावायरस को एक **महामारी** बताया गया है।

पूरी दुनिया-भर में बहुत से देशों में तेजी से वायरस फैलने पर महामारी होती है।

## एनडीआईएस के काम करने के तरीके में परिवर्तन

कोरोनावायरस पूरे ऑस्ट्रेलिया-भर में बहुत से लोगों को प्रभावित कर रहा है।

हमें अपने काम करने के तरीके में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, ताकि हम नीचे दिए गए सभी लोगों को सुरक्षित रख सकें:

* आपको
* समर्थन कर्मियों को
* समुदाय के लोगों को।

लोगों ने हमसे इन परिवर्तनों के बारे में बहुत प्रश्न पूछे हैं।

लोगों ने नीचे दी गई प्रमुख बातों के बारे में प्रश्न पूछे हैं:

* एनडीआईएस में भाग लेना
* अपनी योजना की समीक्षा करना
* आपकी अगली योजना में क्या शामिल होगा
* लंबे समय तक योजनाओं को चलाना
* 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए समर्थन
* अपनी योजना में फंडिंग का उपयोग अलग तरीके से करना।

हमसे पूछे गए कई प्रश्नों के उत्तर आगे के पृष्ठों में दिए गए हैं।

## एनडीआईएस में भाग लेना

इस खंड में एनडीआईएस में भाग लेने के इच्छुक लोगों के प्रश्न दिए गए हैं।

**मैं सुगमता निवेदन (Access Request) कैसे कर सकता/सकती हूँ?**

एनडीआईएस में भाग लेने के लिए **सुगमता निवेदन** पहला कदम है।

जब आप सुगमता निवेदन करते/करती हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि आप एनडीआईएस में भाग लेने की अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे/रही हैं।

आप अभी भी सुगमता निवेदन कर सकते/सकती हैं।

आप डाक से हमें अपना सुगमता निवेदन फॉर्म (Access Request Form) भेज सकते/सकती हैं:

डाक पता – GPO Box 700

Canberra

ACT 2601

या आप हमें **1800 800 110** पर कॉल कर सकते/सकती हैं।

**मैंने सुगमता के लिए निवेदन किया है, अब क्या होगा?**

हम आपके सुगमता निवेदन को देखकर यह निर्धारित करेंगे कि आप एनडीआईएस में भाग लेने के लिए **पात्र** हैं या नहीं।

पात्र होने के लिए आपको हमारे एनडीआईएस में प्रतिभाग के नियमों को पूरा करना होगा।

योजना बनाने के लिए मुलाकात की व्यवस्था करने के लिए हम आपको कॉल करेंगे।

यह मुलाकात:

* फोन से की जाएगी
* ईमेल से की जाएगी।

आपकी नियोजन मुलाकात के लिए हम इस समय आपसे मिल नहीं सकते हैं।

## अपनी योजना की समीक्षा करना

यदि आप किसी चीज की **समीक्षा** करते/करती हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि आप उसकी देख-परख करके यह पता लगा रहे/रही हैं कि वह कैसे चल रही है।

इस खंड में अपनी योजनाओं की समीक्षा करवाने की आवश्यकता वाले लोगों के प्रश्न दिए गए हैं।

**यदि मैंने अपनी योजना की समीक्षा करवाने के लिए बुकिंग की है, तो क्या होगा?**

हम अभी भी योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं।

यदि आपने योजना की समीक्षा करवाने के लिए बुकिंग की है, तो हम यह:

* फोन से करेंगे
* ईमेल से करेंगे।

यदि कोई और परिवर्तन हों, तो हम आपको बताएँगे।

**यदि मेरी योजना समाप्त होने वाली है लेकिन मेरी नियोजन मुलाकात की बुकिंग नहीं की गई है, तो मुझे क्या करना चाहिए?**

यदि आपकी योजना जल्दी समाप्त हो जाती है, तो हम आपकी मौजूदा योजना को 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ा देंगे।

हम आपसे संपर्क करके फोन पर योजना की समीक्षा करने के लिए समय तय करेंगे।

यदि आप और लंबी अवधि की योजना के लिए इच्छुक हैं, तो हम आपकी योजना को और आगे बढ़ाने के बारे में बात करेंगे।

हम इसे अधिकतम 2 वर्षों के लिए आगे बढ़ा सकते हैं।

यदि आपकी योजना जल्दी समाप्त हो जाती है और आप इससे खुश हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना होगा।

**यदि मैं अपनी नई योजना के लिए प्रतीक्षा कर रहा/रही हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए?**

अपनी नई योजना की प्रतीक्षा करते समय आपकी पुरानी योजना समाप्त हो सकती है।

यदि ऐसा होता है, तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है।

हम आपकी पुरानी योजना को 1 वर्ष के लिए और आगे बढ़ा देंगे।

फिर जब आपकी नई योजना तैयार हो जाए, तो आप उसका उपयोग शुरू कर सकते/सकती हैं।

हम डाक से आपको नई योजना की एक प्रति भेजेंगे।

आपको हमसे संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है, यदि:

* आपकी नियोजन मुलाकात हो चुकी है
* आपको डाक से अपनी नई योजना अभी तक नहीं मिली है।

**यदि मैं अपनी पहली योजना के लिए प्रतीक्षा कर रहा/रही हूँ, तो क्या होगा?**

यदि हमने आपको यह बताने के लिए पत्र भेजा है कि आप एनडीआईएस में भाग लेने के लिए पात्र हैं, तो हम जल्द ही आपको कॉल करेंगे।

आपकी पहली नियोजन मुलाकात:

* फोन से की जाएगी
* ईमेल से की जाएगी।

**यदि मुझे अपनी योजना में तुरंत महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की आवश्यकता है, तो क्या होगा?**

आप हमें **1800 800 110** पर फोन कर सकते/सकती हैं।

हम आपकी सहायता कर सकते हैं, यदि:

* आपको अपनी योजना में शामिल समर्थनों में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की आवश्यकता है
* आपको तुरंत कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता है
* आपकी योजना में आपके लिए आवश्यक समर्थन शामिल नहीं है।

आपकी नई योजना तैयार होने तक अपने समर्थन के लिए आपको फंडिंग प्राप्त होगी।

आप हमें ईमेल भेजकर:

* अलग समर्थनों की आवश्यकता पड़ने के कारण समझा सकते/सकती है
* इन समर्थनों की आवश्यकता के प्रमाण दे सकते/सकती हैं।

**क्या मेरी योजना की समीक्षा पिछली बार से अलग होगी?**

हाँ, इस बार हम आपकी योजना की समीक्षा:

* फोन से करेंगे
* ईमेल से करेंगे।

हम आपसे संपर्क करेंगे ताकि आप हमें बता सकें कि आप अपनी योजना की समीक्षा कैसे करवाना चाहते/चाहती हैं।

आप हमें नीचे दी गई बातों में परिवर्तनों के बारे में बता सकते/सकती हैं:

* समर्थन आवश्यकताएँ
* लक्ष्य।

आप हमें ईमेल भेजकर:

* अलग समर्थनों की आवश्यकता पड़ने के कारण समझा सकते/सकती है
* इन समर्थनों की आवश्यकता के प्रमाण दे सकते/सकती हैं।

**मैंने योजना की समीक्षा के लिए निवेदन किया था, लेकिन अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है। मुझे क्या करना चाहिए?**

आपकी योजना की समीक्षा के बारे में बताने के लिए हम आपसे संपर्क करेंगे।

आप अपनी पुरानी योजना का उपयोग तब तक कर सकते/सकती हैं, जब तक:

* हम समीक्षा पूरी न कर लें
* आपकी नई योजना तैयार न हो जाए।

## आपकी अगली योजना में क्या शामिल होगा

इस खंड में नई योजना की आवश्यकता वाले लोगों के प्रश्न दिए गए है।

**क्या कोरोनावायरस महामारी के कारण अपनी अगली योजना में मुझे कम फंडिंग मिलेगी?**

नहीं।

आपकी अगली योजना में मिलने वाला पैसा बदल सकता है।

लेकिन यह कोरोनोवायरस महामारी के कारण नहीं होगा।

यह तभी बदलेगा जब आपके समर्थन की जरूरतें बदल गई हों।

## और अधिक समय के लिए योजनाएँ आगे बढ़ाना

इस खंड में अपनी अगली योजना को और अधिक समय के लिए आगे बढ़ाने के इच्छुक लोगों के प्रश्न दिए गए हैं।

**यदि मैं 1 वर्ष से अधिक समय के लिए चलने वाली योजना बनाना चाहता/चाहती हूँ, तो क्या होगा?**

हम आपकी अगली नियोजन मुलाकात में आपकी समर्थन आवश्यकताओं और लक्ष्यों के बारे में आपसे बात करेंगे।

आपकी समर्थन आवश्यकताओं और लक्ष्यों में कोई परिवर्तन न होने की स्थिति में हम आपको 2 वर्षों तक चलने वाली योजना दे सकते हैं।

यदि आपकी समर्थन आवश्यकताएँ और लक्ष्य 2 वर्षों के अंदर बदल जाते हैं, तो आप योजना की समीक्षा करवाने के लिए निवेदन कर सकते/सकती हैं।

## 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए समर्थन

इस खंड में 7 वर्ष से कम आयु के विकलाँगता-ग्रस्त बच्चों की देखभाल करने वाले माता-पिता और अभिभावकों के प्रश्न दिए गए हैं।

प्रत्येक वर्ष बच्चों में बहुत से परिवर्तन आते है।

उनकी समर्थन आवश्यकताओं और लक्ष्यों में भी बहुत से परिवर्तन आ सकते हैं।

यह महत्वपूर्ण है कि हम आपके बच्चे/बच्ची केः

* लक्ष्यों के बारे में आपसे बात करें
* समर्थन आवश्यकताओं के बारे में आपसे बात करें।

**मेरे बच्चे/बच्ची की योजना की समीक्षा हाल ही में हुई है। उसकी नई योजना कितने समय तक चलेगी?**

आपका आरंभिक बाल्यकाल सहभागी आपको यह तय करने में सहायता देगा कि आपके बच्चे/बच्ची की नई योजना कितने समय तक चलनी चाहिए।

आपको अपने बच्चे/बच्ची के:

* लक्ष्यों के बारे में और
* समर्थन आवश्यकताओं के बारे में सोचना चाहिए।

**मेरे बच्चे की योजना समाप्त होने वाली है। मेरे बच्चे/बच्ची की नई योजना कितने समय तक चलेगी?**

हम अभी भी योजनाओं की समीक्षाएँ कर रहे हैं।

यदि आपके बच्चे/बच्ची की योजना समाप्त होने वाली है, तो हम आपकी मौजूदा योजना को 1 और वर्ष के लिए आगे बढ़ा देंगे।

इसका मतलब है कि आप अभी भी अपने बच्चे/बच्ची के लिए आवश्यक फंडिंग प्राप्त कर सकते/सकती हैं।

हम आपसे संपर्क करेंगे और फोन पर योजना की समीक्षा करने के लिए समय तय देंगे।

**यदि मेरा बच्चे/बच्ची के पास 6-महीने की अस्थायी योजना है, तो क्या होगा?**

**अस्थायी** का मतलब कम समय के लिए उपलब्धता होता है।

यदि आपके बच्चे/बच्ची की 6 महीने की अस्थायी योजना समाप्त होने वाली है:

* आपका आरंभिक बाल्यकाल सहभागी योजना की समीक्षा के बारे में आपसे संपर्क करेगा
* उसकी नई योजना तैयार होने तक हम उसे 1 वर्ष की योजना देंगे।

6-महीने की अस्थायी योजना में आपके बच्चे/बच्ची को $10,000 की फंडिंग मिलती है।

1 वर्ष की नई योजना में आपके बच्चे/बच्ची को $20,000 की फंडिंग मिलेगी।

इसका मतलब है कि आपको अभी भी अपने बच्चे/बच्ची के लिए आवश्यक फंडिंग प्राप्त कर सकते/सकती हैं।

## अपनी योजना में उलब्ध फंडिंग का अलग तरीके से प्रयोग करना

इस खंड में अपनी योजनाओं में उपलब्ध फंडिंग का उपयोग अलग तरीके से करने के इच्छुक लोगों के प्रश्न दिए गए हैं।

**यदि मैं अपनी योजना में उपलब्ध फंडिंग का अलग तरीके से प्रयोग करना चाहता/चाहती हूँ, तो क्या होगा?**

अपने **मूल समर्थनों (Core Supports)** के बजट को खर्च करने के तरीकों पर आपके पास अधिक नियंत्रण है।

आपके मूल समर्थन वे समर्थन और सेवाएँ होती हैं, जिनकी आपको सबसे अधिक आवश्यकता होती है और जिनका आप सबसे अधिक उपयोग करते/करती हैं।

आप यह स्वयं निर्धारित कर सकते/सकती हैं कि अपनी आवश्यकता के दैनिक समर्थनों लिए आप अपने मूल समर्थन बजट को कैसे खर्च करेंगे/करेंगी।

इस समर्थन में नीचे दिए गए कार्यों में सहायता देने वाले समर्थन कर्मियों को भुगतान करना शामिल हो सकता है:

* भोजन की खरीदारी
* अन्य दिन-प्रतिदिन के कार्य।

यदि आप कोरोनावायरस महामारी के कारण अपने घर से बाहर नहीं जा सकते/सकती हैं, तो यह सहायक हो सकता है।

आप मूल समर्थन बजट को अपने **व्यक्तिगत खर्चों** पर व्यय नहीं कर सकते/सकती हैं।

व्यक्तिगत खर्चे वे चीजें होती हैं, जिन्हें आपको खरीदने की या भुगतान करने की आवश्यकता होती है, जैसे:

* भोजन
* किराया
* बिल।

**मैं अपनी योजना में उपलब्ध फंडिंग का प्रयोग कैसे कर सकता/सकती हूँ?**

यदि आप अपनी योजना में उपलब्ध फंडिंग को खर्च करने के तरीके पर और अधिक नियंत्रण चाहते/चाहती हैं, तो आप **स्व-प्रबंधन** कर सकते/सकती हैं।

यदि आप अपनी योजना का स्व-प्रबंधन करते/करती हैं, तो आप:

* अपनी एनडीआईएस फंडिंग के सभी या कुछ हिस्सों का प्रबंधन कर सकते/सकती हैं
* अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले समर्थन चुन सकते/सकती हैं।
* हम आपकी अगली योजना समीक्षा में स्व-प्रबंधन के बारे में बात कर सकते हैं।

आप अपनी योजना में उपलब्ध सभी बातों का स्व-प्रबंधन करने में सक्षम नहीं भी हो सकते/सकती हैं।

**यदि मेरे समर्थन कर्मी अब मुझे समर्थन नहीं दे सकते हैं, तो क्या होगा?**

यदि आपके सामान्य समर्थन कर्मी अब आपको समर्थन नहीं दे सकते/सकती हैं, तो उन्हें आपसे संपर्क करना चाहिए।

वे यह सुनिश्चित करेंगे कि नए समर्थन कर्मी आकर आपको समर्थन उपलब्ध कराएँ।

अपने प्रदाता को अपनी समर्थन आवश्यकताओं के बारे में बताना सुनिश्चित करें।

इससे यह सुनिश्चित होगा कि वे आपके लिए सही समर्थन कर्मी भेजते हैं।

सभी एनडीआईएस प्रदाताओं को निम्नलिखित का पालन करना चाहिए:

* NDIS Code of Conduct (एनडीआईएस की आचार संहिता)
* NDIS Practice Standards (एनडीआईएस की कार्यप्रथाएँ)।

ये 2 महत्वपूर्ण दस्तावेज़ समझाते हैं कि एनडीआईएस प्रदाताओं को विकलाँगता-ग्रस्त लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए।

## शब्द सूची

**सुगमता निवेदन**

एनडीआईएस में शामिल होने के लिए एक सुगमता निवेदन पहला कदम है।

जब आप सुगमता निवेदन करते/करती हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि आप एनडीआईएस में भाग लेने की अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे/रही हैं।

**मूल समर्थन**

आपके मूल समर्थन वे समर्थन और सेवाएँ होती हैं, जिनकी आपको सबसे अधिक आवश्यकता होती है और जिनका आप सबसे अधिक उपयोग करते/करती हैं।

**पात्र**

पात्र होने के लिए आपको हमारे एनडीआईएस में प्रतिभाग के नियमों को पूरा करना होगा।

**महामारी**

पूरी दुनिया-भर में बहुत से देशों में तेजी से वायरस फैलने पर महामारी होती है।

**व्यक्तिगत खर्चे**

व्यक्तिगत खर्चे वे चीजें होती हैं, जिन्हें आपको खरीदने की या भुगतान करने की आवश्यकता होती है, जैसे:

* भोजन
* किराया
* बिल।

**समीक्षा**

यदि आप किसी चीज की समीक्षा करते/करती हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि आप उसकी देख-परख करके यह पता लगा रहे/रही हैं कि वह कैसे चल रही है।

**स्व-प्रबंधन**

यदि आप अपनी योजना का स्व-प्रबंधन करते/करती हैं, तो आप:

* अपनी एनडीआईएस फंडिंग के सभी या कुछ हिस्सों का प्रबंधन कर सकते/सकती हैं
* अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले समर्थन चुन सकते/सकती हैं।

**अस्थायी**

अस्थायी का मतलब कम समय के लिए उपलब्धता होता है।

**वायरस**

वायरस एक ऐसी बीमारी या रोग होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है।

## हमसे संपर्क करें

फोन – 1800 800 110

ईमेल – [enquiries@ndis.gov.au](mailto:enquiries@ndis.gov.au)

डाक पता – GPO Box 700

Canberra

ACT 2601

वेबसाइट – [www.ndis.gov.au](http://www.ndis.gov.au)

सूचना सुगमता समूह (Information Access Group) ने यह पढ़ने में आसान (Easy Read) दस्तावेज़ बनाया है।   
किसी भी पूछताछ के लिए कृपया वेबसाइट [www.informationaccessgroup.com](http://www.informationaccessgroup.com) पर जाएँ।  
कार्य सँख्या 3506 का संदर्भ दें।